रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256384
CG-DL-E-14082024-256384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946
No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

आ. अ. 165(अ).—यतः, हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा का स्थान जिनकी पदावधि 09.04.2026 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके अठारहवीं लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण 04.06.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 06 सितम्बर 2024 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 21 अगस्त 2024 (बुधवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 22 अगस्त 2024 (गुरूवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 27 अगस्त 2024 (मंगलवार);

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 03 सितम्बर 2024 (मंगलवार); और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 06 सितम्बर 2024 (शुक्रवार); नियत करता है; और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा. सं. 100/रा.स.-हरियाणा/07/2024 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

O. N. 165(E).—WHEREAS, the seat of Shri Deepender Singh Hooda, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Haryana, has become vacant on 04.06.2024 by the reason of his election to the 18th Lok Sabha, before the expiration of his term of office which was up to and including 09.04.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Haryana to elect, before 06th September, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints,** with respect to the said election;

(a) the 21st August, 2024 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 22nd August, 2024 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 27th August, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 03rd September, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 06th September, 2024 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 100/CS-HR/07/2024 (1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.14 20:51:55 +05'30'